न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
55 / 2022	2022 /	30.08.2022	30.08.2022

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

—प्रार्थी

बनाम्

नरेश पुत्र देबूराम जाति माली निवासी थोई तहसील श्रीमाधोपुर वगै0

—अप्रार्थी

विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

–:: निर्णय ::–

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, पटवारी हल्का थोई द्वारा दिनांक 10.12.2021 को तैयार की गई फर्द मौका पर्चा सीमाज्ञान रिपोर्ट, अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर एंव श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महो., राजस्व (ग्रुप–6) जयपुर राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया [illegible] अनुसार तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम थोई के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1107 रकबा 0.5[illegible] हैक्टर में से 60 वर्गमीटर, 1108/5 रकबा 0.21 हैक्टर में से 32 वर्गमीटर, 1108/4 रकबा 0.[illegible] हैक्टर में से 96 वर्गमीटर, 1108/1

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:18 IST
Reason: SelfAttested

30/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

रकबा 0.31 हैक्टर में से 144 वर्गमीटर, 1108/3 रकबा 0.36 हैक्टर में से 48 वर्गमीटर, 1108/2 रकबा 0.31 हैक्टर में से 352 वर्गमीटर में से जा रहे रास्ता जो मौके पर चालू रास्ता है एंव कच्चा रास्ता है जो थोई भरण की ढ़ाणी सड़क से नाड़ा वाली ढ़ाणी बालूजी के मकान तक में जाती है का अंकन राजस्व अभिलेख मे करवाने हेतु प्रस्ताव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एंव नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, उक्त खसरा नम्बरान् में से जा रहे रास्ता हेतु पटवारी हल्का थोई की तैयार की गई फर्द मौका पर्चा सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 10.12.2021, ग्राम पंचायत थोई का प्रस्ताव संख्या 2 मीटिंग दिनांक 15.08.2021 एंव अभिशंषा रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्राप्त हुई है। सबंधित पटवारी हल्का थोई ने अपनी फर्द मौका पर्चा सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 10.12.2021 में तहसील श्रीमाधोपुर में ग्राम थोई की भूमि खसरा नम्बर 1107 रकबा 0.54 हैक्टर में से 60 वर्गमीटर, 1108/5 रकबा 0.21 हैक्टर में से 32 वर्गमीटर, 1108/4 रकबा 0.31 हैक्टर में से 96 वर्गमीटर, 1108/1 रकबा 0.31 हैक्टर में से 144 वर्गमीटर, 1108/3 रकबा 0.36 हैक्टर में से 48 वर्गमीटर, 1108/2 रकबा 0.31 हैक्टर में से 352 वर्गमीटर भूमि के मौके पर उपस्थित खातेदारों द्वारा सहमति प्रदान होने पर व सीमाज्ञान से संतुष्ट होने पर रास्ते का प्रस्ताव अलग से तैयार किया जाकर उक्त रास्ते को वर्तमान में चालू होकर सार्वजनिक हित में बताया गया है। इसके साथ ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है।

इस प्रकार यह विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के तहत स्वीकार किये जाने योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:18 IST
Reason: SelfAttested

30/8/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम थोई के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1107 रकबा 0.54 हैक्टर में से 60 वर्गमीटर, 1108/5 रकबा 0.21 हैक्टर में से 32 वर्गमीटर, 1108/4 रकबा 0.31 हैक्टर में से 96 वर्गमीटर, 1108/1 रकबा 0.31 हैक्टर में से 144 वर्गमीटर, 1108/3 रकबा 0.36 हैक्टर में से 48 वर्गमीटर, 1108/2 रकबा 0.31 हैक्टर में से 352 वर्गमीटर भूमि में जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एंव राजस्व नक्शे में वर्णितानुसार करावें एंव संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने एंव गैर मुमकीन रास्ते में आने वाली भूमियों का लगान कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान् के खाते में ही दर्ज रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव एंव नक्शा ट्रेस को उक्त आदेश का भाग रहेगें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर एक माह में पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

30/08/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 30.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/08/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:18 IST
Reason: SelfAttested